कार्यालय मुख्य अभियन्ता, (मध्य क्षेत्र)
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ

पत्रांक-5912 सी0जेड0 / 5सी0जेड0(पेट्रोल पम्प अनापत्ति) / 2020. दिनाँक-23/11/20

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

अधीक्षण अभियन्ता, सीतापुर-खीरी वृत्त, लो0नि0वि0, सीतापुर द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर जनपद लखीमपुर-खीरी मे सिसैया-धौरहरा-निघासन-पलिया-धनौराघाट-पूरनपुर मार्ग (राज्य मार्ग सं0-101) दॉयी ओर किमी0-117(800) (चैनेज 117.780 से 117.815) में स्थित ग्राम-पैड़िया, थाना-सम्पूर्णानगर, तहसील-पलिया, जनपद लखीमपुर-खीरी के खसरा / गाटा सं0-193 में इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि0, बरेली द्वारा रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्न प्रतिबन्धों के साथ निर्गत किया जाता है :-

1. श्री सुखविन्दर सिह चीमा, ग्राम पैड़िया, तहसील-पलिया, जिला-लखीमपुर-खीरी द्वारा प्रस्तावित आउटलेट सिसैया-धौरहरा-निघासन-पलिया-धनौराघाट-पूरनपुर मार्ग (राज्य मार्ग सं0-101) के दॉयी ओर किमी0-117(800) चैनेज 117.780 से 117.815 के दॉयी ओर स्थित है। मानचित्र में अंकित दूरी 25.910 मी0 है। यहाँ लोक निर्माण विभाग की स्थायी भूमि दॉयी ओर 15.840 मीटर बॉयी ओर 15.840 मी0 सीमा से बाहर है। सलग्न मानचित्र मे अंकित दूरी तक निर्माण सामग्री लो0नि0वि0 की स्थायी भूमि सीमा में एकत्र न किया जाए।

   प्रस्तावित आउटलेट स्थल पर रोड साइट लैण्ड कण्ट्रोल एक्ट की सीमा 25.910 मी0 है। साइट लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट के अन्तर्गत 25.910 मी0 में पक्का निर्माण अनाधिकृत है। रोड साइट लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट के सम्बन्ध मे राजस्व विभाग की आख्या बाध्यकारी होगी।
2. भूमि स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से होना चाहिए। इस सम्बन्ध में लो0नि0वि0 का कोई उत्तरदायित्व नही होगा।
3. यदि निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय मे कोई विवाद विचाराधीन है, तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जाये।
4. जब भी मार्ग चौड़ीकरण हेतु भूमि की आवश्यकता होगी, तो भूमि चौड़ीकरण हेतु उपलब्ध करा दी जायेगी और पम्प मालिक को अपने व्यय पर वांछित निर्माण हटाना होगा।
5. पेट्रोल पम्प (पेट्रोल पम्प / डीजल रिटेल आउटलेट) परिसर का लेविल मार्ग के लेविल से कम से कम 30 सेमी0 नीचा होना चाहिए, ताकि सड़क पर परिसर का पानी नही आने पाये।
6. पेट्रोल पम्प (पेट्रोल पम्प / डीजल रिटेल आउटलेट) एवं विभागीय भूमि के बीच परिसर में पक्की ड्रेन बनाई जाये तथा उसे लोहे की ग्रेटिंग से ढका जाये एवं सड़क तक पहुचने हेतु एप्रोच रोड पर 01 मी0 स्पान की सुदृढ़ आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य कराया जाये, ताकि वाहनों के आवागमन मे असुविधा न हो और पेट्रोल पम्प परिसर का पानी नाली के द्वारा मुख्य ड्रेन में जा सके।
7. ड्रेनेज हेतु पेट्रोल पम्प (पेट्रोल पम्प / डीजल रिटेल आउटलेट) सर्विस एरिया का ढाल कम से कम 02 प्रतिशत ड्रेन की ओर रखा जाय।
8. लोक निर्माण विभाग की स्थाई भूमि पर कोई भी निर्माण एवं साईन-बोर्ड लगाना अनुमन्य नहीं होगा।
9. मेसर्स इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, बरेली के समस्त निर्देशों एवं अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0, लखीमपुर-खीरी द्वारा ब्लू प्रिन्ट पर अंकित किये गये अनुबन्धों का भी पालन करना अनिवार्य होगा।
10. वेगान्तर लेन में स्थित विद्युत पोल को सुगम आवागमन हेतु सुविधाजनक स्थान पर शिफ्ट किया जाना आवश्यक होगा। इस हेतु लोक निर्माण विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। दुर्घटना होने पर इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी रिटेल आउटलेट संचालक की होगी।
11. शासनादेश सं0-1882 / 23-12-19-1365 / 17टी0सी0, दि0 04.12.2019 मे दिये गये निर्देशों व चेकलिस्ट एवं आई0आर0सी0 कोड 12-2009 मे दी गई समस्त शर्ते लागू होंगी।
12. संबंधित ऑयल कम्पनी संचालक द्वारा लाईसेन्स एवं प्रोसेसिंग फीस का क्रमशः डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या-430265, दि0 15.06.2020 रू0 2,60,000.00 एवं डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या-041910, दि0 25.06.2020 रू0 40,000.00 व डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या-430266, दि0 15.06.2020 रू0 10,000.00 **(जिला सहकारी बैंक लि0, लखीमपुर-खीरी)** कुल धनराशि रू0 3,10,000.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट मूलरूप में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0, लखीमपुर-खीरी के पक्ष में जमा है।

उपरोक्त अनुमति अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0, लखीमपुर-खीरी का पत्र संख्या-1310 / एन0ओ0सी0 / 2020-21, दि0 05.11.2020 तथा अधीक्षण अभियन्ता, सीतापुर-खीरी वृत्त, लो0नि0वि0, सीतापुर का पत्र संख्या-4082 / 330सी-सी0सी0 / 2020, दि0 18.11.2020 द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न करने पर जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।

(अम्बिका सिंह)
मुख्य अभियन्ता, (म0क्षे0)
लो0नि0वि0, लखनऊ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, खीरी।
   संलग्नक-ड्राइंग एक प्रति में।
2. अधीक्षण अभियन्ता, सीतापुर-खीरी वृत्त, लो0नि0वि0, सीतापुर के पत्र सं0-4082 / 330सी-सी0सी0 / 2020, दि0 18.11.2020 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0, लखीमपुर-खीरी के पत्र सं0-1310 / एन0ओ0सी0 / 2020-21, दि0 05.11.2020 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

23/11/20

मुख्य अभियन्ता, (म0क्षे0)
लो0नि0वि0, लखनऊ

प्रमाण–पत्र

प्रस्तावित आउटलेट सिसैया–धौरहरा–निघासन–पलिया–धनौराघाट–पूरनपुर मार्ग (राज्य मार्ग सं0–101) के दॉयी ओर कि0मी0–117(800) चैनेज–117.780 से 117.815 के दॉयी ओर पर है।

1. रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट के अनुसार सड़क के मध्य से दूरी 25.910 मी।
2. सड़क के मध्य से पेट्रोल पम्प की तरफ मार्ग की स्थायी भूमि 15.840 मी0।
3. सड़क के मध्य से पेट्रोल पम्प की सीमा 25.910 मी0।

अतः अनुमति दी जा सकती है।

अवर अभियन्ता,
Junior Engineer
निर्माण खण्ड–3, लो0नि0वि0,
लखीमपुर खीरी।

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड–3, लो0नि0वि0,
लखीमपुर–खीरी।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड–3, लो0नि0वि0,
लखीमपुर खीरी।